सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 12, शुक्रवार, शाके 1943-दिसम्बर 03, 2021
Agrahayana 12, Friday , Saka 1943- December 03, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 09, 2021

संख्या प.4(9) कृषि/ग्रुप-2/2021 :- जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विद्यमान कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्रों में विज्ञप्त कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु निजी गौण मण्डी प्रांगण घोषित करने का निर्णय लिया है। अतः अब राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न विवरण के अनुसार जिला **करौली** में कृषि उपज मण्डी समितियों से संबंधित मण्डी क्षेत्र में प्रबंधित संरचना एवं अहाता की सीमाओं तक निजी गौण मण्डी प्रांगण स्थापित करने की घोषणा करती है:-

क्र.स	जिला	कृषि उपज मण्डी समिति	कृषि प्रसंस्करण इकाई		क्लिनिंग ग्रेडिंग/मूल्य सवर्धन इकाई		वेयर हाउस		साईलोज		कोल्ड स्टोरेज	
			नाम	पता	नाम	पता	नाम	पता	नाम	पता	नाम	पता
1	करौली	हिण्डौन सिटी	भोगराज एण्ड ब्रदर्स	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	मदनमोहन ऑयल एण्ड दाल मील	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	RSWC	kyarda Hindaun	निल	निल	निल	निल
	करौली		जी.आर. इन्टरप्राईजेज	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	देवेन्द्र कुमार अमित कुमार	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	RSWC	karauli	-	-	-	-
	करौली		के.एस. एण्टरप्राईजेज	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	कृष्णा ग्रेडिंग एण्ड फ्लोर मील	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	-	-	-	-	-	
	करौली		के.बी. इण्डस्ट्रीज	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	जय बालाजी सोर्टेक्स	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	-	-	-	-	-	-
	करौली		आर.के. इन्टरप्ारईजेज	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	-	-	-	-	-	-	-	-
	करौली		हिण्डौन स्लैट प्रोडेक्ट इण्डिया	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	-	-	-	-	-	-	-	-
	करौली		अग्रवाल राईस एण्ड ऑयल मील	गौशाला हिण्डौन	-	-	-	-	-	-	-	-

	करौली		लक्ष्मी उद्योग	करौली	-	-	-	-	-	-	-	-
	करौली		गोयल इण्डस्टीज	करौली	-	-	-	-	-	-	-	-
	करौली		श्री सांवरिया ऑयल मील हिण्डौन	इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य सरकार घोषणा करती है कि उक्त निजी गौण मण्डी प्रांगणों का उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 एवं धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड 10 से परिभाषित मार्केट प्रोपर नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बृज गुप्ता,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।